



पूर्वोत्तर रेलवे
North Eastern Railway

कार्यालय
Office of the
प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर
Principal Chief Electrical Engineer
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,
North Eastern Railway, Gorakhpur

सं.-वि/कान/मिस/779

दिनांक-10.03.2022

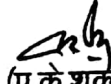
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर।

उप मुविई/टीआरडी/गोरखपुर।

विषय:-टीआरडी में वर्क्स कॉन्टैक्ट प्रबन्धन में प्रणाली में सुधार के संबंध में।

उपरोक्त विषयांकित के संबंध के संबंध में महाप्रबन्धक/सतर्कता/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर का पत्र सं.-जेड/13 वी 6/2021/09/00322/67 दिनांक-09.03.2022 की छाया प्रति संलग्न कर आपके पास आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

संलग्नक-संलग्नक-यथोपरि।


(ए.के.शुक्ला)
प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर
गोरखपुर।

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक/सतर्कता/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर का पत्र सं.-जेड/13 वी 6 /2021/09/00322/67 दिनांक-09.03.2022 के लगाव में सूचनार्थ प्रेषित।


(ए.के.शुक्ला)
प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर
गोरखपुर।

व/क

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur- 273012

No.Z/13/V6/2021/09/00322/67

Date - .03.2022

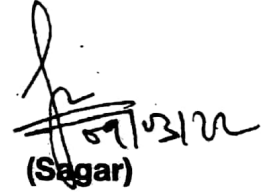
प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुरा

विषय: टी.आर.डी. में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन में प्रणाली में सुधार के संबंध में।

1. एक सतर्कता जांच के दौरान पाया गया कि एक केस में कार्य अलग-अलग कई स्थानों पर अलग-अलग सुपरवाइजर के तहत किया जाना था परंतु कार्य का पेमेंट संबंधित सुपरवाइजर द्वारा भरे गए डीपीआर के आधार पर एक नामित सुपरवाइजर द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त इस कार्य में शेड्यूल में अधिकतर मर्दों में सप्लाई और इरेक्शन का एक साथ वर्णन है - जिसके कारण डीपीआर में इरेक्शन दिखाए जाने पर सप्लाई का भी साथ ही पेमेंट हो जाने की प्रबल संभावना है। जांच में यह पाया गया कि फर्म द्वारा सप्लाई किए गए सामग्री को लेजर में एंटर किए बिना वापस फर्म को कार्य हेतु इशू कर दिया गया। क्योंकि कार्य कई जगहों पर एक साथ चल रहा था, इसलिए फर्म को वापस इशू किए गए सामग्री का इस्तेमाल किस जगह पर हुआ, वर्क रजिस्टर के अभाव में इस बात का पता लगाना भी संभव नहीं था। सुपरवाइजर द्वारा कार्यक्षेत्र में लावारिस पड़े मिले सामग्री को फर्म को लोन पर भी दे दिया गया जिससे दो समस्याएं उत्पन्न हुई - (1) लोन पर दी गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हुई, और (2) लोन पर दिए गए सामग्री का चूंकि कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि लोन पर दिए गए सामग्री के सापेक्ष फर्म को सप्लाई का पेमेंट भी कर दिया जाए।
2. ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार जारी किया जाता है -
 1. मेजरमेंट बुक एकल नामित सुपरवाइजर की बजाए कार्य करवाने वाले संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा भरी जानी चाहिए।

- II. यदि किसी कारण वश उपरोक्त पैरा (i) का कार्यान्वयन संभव ना हो तो इरेक्शन से संबंधित डी.पी.आर में लिखा जाना चाहिए की उपयुक्त हुई सामग्री फर्म द्वारा सप्लाई की गई है या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त सभी आवश्यक सूचना DPR में कार्य करवाने वाले संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा अवश्य भरी जानी चाहिए।
- III. कार्य से संबंधित मेटेरियल-लेजर एवं वर्क-रजिस्टर संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा बनाया जाना चाहिए जिससे यह ज्ञात होता रहे की फर्म की इशू की गयी सामग्री कहाँ लगायी जा रही है एवं कितनी सामग्री फर्म के पास शेष है।

उक्त पर वरिष्ठ उप महा प्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।



(Sagar)

DyCVO/Elect.

For General Manager (Vigilance)

प्रतिलिपि :-मास्टर फाइल में लगाने हेतु।